न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 13 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
	1. अचला पुत्र कान्हा 2. देदा पुत्र राणा 3. दीपा पुत्र मेहरा 4. हरजी पुत्र मेहरा 5. चुना पुत्र मेहरा 6. नेना पुत्र खंगारा 7. पेमी पत्नी खेमा 8. भुरा पुत्र राणा 9. सवाई पुत्र भेराराम नाबालिग जरिये कूदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 10 पेम्पो पत्नी भेराराम 10. पेम्पो पत्नी भेराराम 11. रूगा पुत्र काना 12. हेमा पुत्र खेता 13. हरखू पत्नी राणा जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 14. अजयसिंह पुत्र तुलछीराम 15. अर्जुनसिंह पुत्र तुलछीराम 16. पूरणसिंह पुत्र तुलछीराम 17. बनाराम पुत्र तुलछीराम 18. बादराराम पुत्र तुलछीराम 19. मोरो पत्नी तुलछीराम जाति ब्राह्मण निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. जेठाराम पुत्र भीखाराम 2. कालू पुत्र रूपा 3. पोकर पुत्र रूपा 4. लिखमा पुत्र रूपा 5. छोगा पुत्र रूपा 6. रावता पुत्र रूपा 7. गंगा पुत्री भीखाराम 8. दुर्गाराम पुत्र भीखाराम 9. धाईदेवी पत्नी भीखाराम 10. वरजू पुत्री भीखाराम 11. वालाराम पुत्र भीखाराम 12. सुआ पुत्री भीखाराम जाति कुम्हार निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर 13. शाखा प्रवंधक, एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 14. शाखा प्रवन्धक, आई सी आई सी आई शाखा रामजीगोल 15. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 08 / 2022 बअनवान जेठाराम बनाम कालू वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुखदेव जाखड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.08.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेजियावास में खेत खसरा संख्या 97 का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 97/1 में से ही आ जा सकते है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षो से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तावित अपने पैतृक विभाजित सगे भाईयों रेस्पोडेंट संख्या 02 से 12 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 97/1 मौजा तेजियावास कि भूमि में कट्टे रास्ते से जुड़ने के लिए जो उसके लिए सुविधा जनक व नजदीकी होने के कारण प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तावित रास्ते को तहसीलदार गुड़ामालानी ने प्रार्थी से मिलावट कर अपीलांटगण को तंग व परेशान करने के लिए तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 में उक्त रास्ता प्रस्तावित न कर उसके विपरित एकतरफा अन्य दूर स्थित खेत खसरा संख्या 42 व 48 मौजा तेजियावास में से एकतरफा रास्ता प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तावित अपने पैतृक विभाजित सगे भाईयों रेस्पोडेंट संख्या 02 से 12 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 97/1 मौजा तेजियावास कि भूमि में कट्टे रास्ते से जुड़ने के लिए जो उसके लिए सुविधा जनक व नजदीकी होने के कारण प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तावित रास्ते को तहसीलदार गुड़ामालानी ने प्रार्थी से मिलावट कर अपीलांटगण को तंग व परेशान करने के लिए तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 में उक्त रास्ता प्रस्तावित न कर उसके विपरित एकतरफा अन्य दूर स्थित खेत खसरा संख्या 42 व 48 मौजा तेजियावास में से एकतरफा रास्ता प्रस्तावित किया गया।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में रखी गई इस बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.10.2023 को शेष विप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिये बिना व जवाब का अवसर बंद किए बिना ही पत्रावली अंतिम बहस में रख दी गई। विप्रार्थीगण/अपीलांटस का जवाब लिये बिना व अपीलांटगण की बहस को सुने बिना पुरानी मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व गण्डल के दिशा निर्देशों का पालन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। आर आई ने मौका रिपोर्ट उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। मूल आवेदन में अपीलांटस पक्षकार भी नहीं है। उतरदाता के खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु खसरा संख्या 97/1 में रास्ता प्रचलित है उक्त तथ्यों को आर आई ने छुपाया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम/सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 08/2022 बअनवान जेठाराम बनाम कालू वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि उतरदाता की खातेदारी में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

02.08.24

(अजीतसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.08.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर